अब गेहूं खरीदी सप्ताह में 6 दिन होगी

- स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ाया
- अब छोटे के साथ बड़े किसान भी बेच सकेंगे गेहूं
- प्रदेश की जनता के नाम संदेश में सीएम ने की घोषणा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अप्रैल. प्रदेश में अब छोटों के साथ बड़े किसानों के लिए भी गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग ओपन कर दी गई है, वहीं प्रदेश में अब सप्ताह में 6 दिन गेहूं की खरीदी होगी, अब शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा, इतना ही नहीं अब गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग के समय को 9 दिन और बढ़ा दिया गया है. अब 30 अप्रैल के बजाय 9 मई तक स्लॉट बुकिंग होगी.

शुक्रवार को सोशल मीडिया में प्रदेश की जनता के नाम संदेश देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में घोषणा की. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सच्चा वादा और पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है. हमने किसानों से जो वादा किया, वह पूरा करके भी दिखाया है. जब हमारे खेतों से लेकर कारखाने तक समृद्धि आएगी, तभी तो हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे. मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी मेहनत, पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसानों की समृद्धि ही मध्यप्रदेश की असली ताकत है. आइए, हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं प्रदेशवासियों से यह साझा करना चाहता हूं कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि

किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है. यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है. इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं.

किसानों को अब उनकी भूमि के बदले 4 गुना मुआवजा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान भाइयों को कोई समस्या न हो, यह हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार सदैव किसानों के साथ है. हमारी सरकार ने भू-अर्जन को भी लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह सिर्फ निर्णयों की सूची नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो हमारी सरकार और किसानों के बीच मजबूत हो रही है. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार इन सभी क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं. किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने दलहन, उ?द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब?ा कदम उठाया है. उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सोयाबीन की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार भाव में वृद्धि हुई और किसानों को सरसों का दाम एमएसपी से भी अधिक मिल रहा है.

प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता पिछले साल से अधिक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5 .90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है. इसी प्रकार अन्य उर्वरक के भी पर्याप्त भंडारण किए गए हैं. उर्वरकों की वितरण प्रणाली में भी सुधार किया गया है. नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मनचाहे स्थानों से खाद दिलाने की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने किसानों के साथ बीते दो सालों में जो रिश्ता बनाया है, उसे हम आगे भी निभाएंगे. हम हर परिस्थिति में आखिरी दम तक अपने अन्नदाताओं के साथ खड़े रहेंगे.

पांच रुपए में कृषि पंप कनेक्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सबको विदित है कि हमारी सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को मात्र पांच रुपये में कृषि पंप का कनेक्शन दिया जा रहा है. साथ ही, हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बदले दिन में ही सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी. कृषक मित्र योजना में 90 प्रतिशत सब्सिडी पर किसान को सोलर सिंचाई के पंप दिए जा रहे हैं, जिससे बिजली के मामले में किसान आत्मनिर्भर बनेंगे.

भाजपा किसान मोर्चा के 16 जिला अध्यक्षों की घोषणा

भोपाल, 24 अप्रैल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने मोर्चा के सोलह जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है.

1	सुरेश पटेल	नर्मदापुरम
2	महेश्वर सिंह चंदेल	बैतूल
3	राहुल जाधव	बुरहानपुर
4	राधेश्याम जाट	शाजापुर
5	यशवंत लिल्हारे	बालाघाट
6	धर्मवीर रघुवंशी	अशोकनगर
7	हेमंत धाकड़	मुरैना
8	राजू नागदा	नीमच
9	राजेंद्र सिंह	खंडवा
10	प्रवीण त्रिपाठी	रीवा
11	प्रदीप अवस्थी	पन्ना
12	राजेंद्र जी शितोले	बड़वानी
13	कमलेश राजपाल	रायसेन
14	शैलेंद्र रघुवंशी	छिंदवाड़ा
15	घनश्याम कछवाहा	डिंडौरी
16	मुरारीलाल धाकड़	गुना

भाजपा ने तीन प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक भी नियुक्त किए

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अप्रैल. प्रदेश भाजपा संगठन में नियुक्तियों का सिलसिला भी जारी है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने तीन प्रकोष्ठों में प्रदेश संयोजकों की नियुक्ति की है. व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी धीरज खंडेलवाल इंदौर को दी गई है, वहीं शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक महेश पालीवाल इंदौर को बनाया गया है. इसी तरह मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पद की जिम्मेदारी श्याम निषाद कटनी को दी गई है.

6 लाख घरों मे लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र

- मंत्री राकेश शुक्ला ने दी जानकारी
- वेंडर्स से डिजिटल एग्रीमेंट किया जाएगा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अप्रैल. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया है कि मप्र में 6 लाख घरों पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जायेंगे. इसके लिये वेंडर्स से डिजिटल एग्रीमेंट भी किया जायेगा. इससे सौर संयंत्र की स्थापना लागत में कमी आयेगी.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है.

मंत्री शुक्ला ने बताया कि हितग्राही एवं वेंडर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए मप्र ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न शुल्कों में कमी लाने के लिये डिजिटल एग्रीमेंट किये जाने संबंधी याचिका मप्र विद्युत नियामक आयोग में लगाई थी. रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, मीटर जांच शुल्क और इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग शुल्क एवं अलग-अलग भौतिक अनुबंधों के स्थान पर डिजिटल एग्रीमेन्ट लागू करने के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने याचिका की सुनवाई के बाद डिजिटल एग्रीमेंट के लिये आदेश पारित कर दिया है.

मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा भौतिक अनुबंधों के स्थान पर डिजिटल एग्रीमेन्ट करने संबंधी आदेश पारित करने से घरों की छत पर सौर संयंत्र स्थापना लागत में कमी आएगी. साथ ही स्थापना संबंधी कार्य शीघ्र गति से हो सकेगा.

वर्ष 2025 बैच के आठ आईएएस अधिकारी सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ

भोपाल, 24 अप्रैल. मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के आठ आईएएस अधिकारियों के पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है. इन परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण की समाप्ति पर सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है.

1	सुश्री आयुषी बंसल	झाबुआ
2	सुश्री आशी शर्मा	धार
3	माधव अग्रवाल	बड़वानी
4	सुश्री सौम्या मिश्रा	सिंगरौली
5	श्लोक वाइकर	कटनी
6	सुश्री शिल्पा चौहान	खंडवा
7	खोट पुष्पराज नानासाहेब	बैतूल
8	शैलेंद्र चौधरी	मंडला

भोपाल, बैरागढ़ में मनाया मानव एकता दिवस

भोपाल, 24 अप्रैल. जब हृदय में करुणा, प्रेम और एकत्व की दिव्य चेतना जागृत होती है, तब मानव अपने सीमित स्वार्थों से ऊपर उठकर सम्पूर्ण सृष्टि के कल्याण का सशक्त माध्यम बन जाता है. परोपकार, करुणा और परमार्थ जैसे अलौकिक मूल्यों से प्रकाशमान यह पावन अवसर उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक बना, जहाँ 'मानव को मानव हो प्यारा, एक-दूजे का बने सहारा' का संदेश केवल शब्दों तक सीमित न रहकर हृदयों में जीवंत हुआ.

'मानव एकता दिवस' 24 अप्रैल को, बाबा गुरबचन सिंह जी की दिव्य स्मृति में, सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता के सान्निध्य में दिल्ली के ग्राउंड नं. 8 के साथ ही समूचे देश की हजारों सत्संग केंद्रों पर श्रद्धा और समर्पण भाव से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ. मानव एकता दिवस भोपाल जोन सभी ब्रांचों सहित बैरागढ़ ब्रांच में जोनल इंचार्ज अशोक जुनेजा की हुजूरी में सम्पन्न हुआ. इस दौरान बैरागढ़ ब्रांच संयोजक महेश वीधानी, संचालक अशोक नाथानी, सभी सेवादल के भाई-बहनों सहित बड़ी संख्या में साध संगत उपस्थित थी. यह पावन दिवस बाबा गुरबचन सिंह जी एवं चाचा प्रताप सिंह जी की दिव्य स्मृति को समर्पित है, जिनका सम्पूर्ण जीवन त्याग, समर्पण और नि:स्वार्थ सेवा की अद्वितीय मिसाल रहा है. उन्होंने अपने आचरण और विचारों के माध्यम से मानवता को प्रेम, विनम्रता और परोपकार का सच्चा मार्ग दिखाया.

संत निरंकारी मण्डल के सचिव जोगिन्दर सुखीजा ने बताया कि देशभर के करीब 200 स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया; जिससे लगभग 40,000 यूनिट रक्त संकलित किया गया. उल्लेखनीय है कि रक्तदान की यह परंपरा पिछले चार दशकों से निरंतर जारी है. अब तक 9,174 रक्तदान शिविरों के माध्यम से लगभग 15,00,230 यूनिट रक्त संकलित किया जा चुका है.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भेल में दी विदाई

भेल संवाददाता भोपाल, 24 अप्रैल. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), भोपाल के प्रशासनिक भवन में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया. कार्यपालक निदेशक प्रदीप कुमार उपाध्याय ने के.एम.पी. मिंज, अपर महाप्रबंधक (एसडीएक्स), वी.एस. चौहान, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन), सावित्री शाक्या, अधिकारी (चिकित्सा) सहित सात पर्यवेक्षकों एवं एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संबोधन में सभी के सुखद एवं संतोषपूर्ण जीवन की कामना करते हुए कहा कि जीवन की दूसरी पारी को सार्थक बनाएं, स्वस्थ रहें.समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा वर्षों तक दी गई समर्पित सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया. इस अवसर पर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) टी.यू. सिंह भी उपस्थित रहे.

डीआरएम ने 43 कर्मियों को किया पुरस्कृत

भोपाल, 24 अप्रैल. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल द्वारा 70वें रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत रेल सेवा पुरस्कार का आयोजन न्यू नर्मदा क्लब में किया गया. समारोह में मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी द्वारा चयनित कुल 43 रेल कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए. इनमें इंजीनियरिंग विभाग से संजय धारे, पिंकी भांझी, कपिल भावसा, सुनील कुमार, संजय कुमार चढोकार, राजीव कुमार पाराशर, अनस खान, गौरव राठौर, सतीश कुमार, परिचालन विभाग से 6 इब्राहिम खान, राजकुमार शर्मा, नृपेन्द्र सिंह, कमलेश कुमार, रिज़वान मोहम्मद, राकेश कुमार राय, यात्रिक डीजल शेड इटारसी से पवन प्रजापति, अशोक कुमार, यात्रिक (कैरिज वैगन विभाग) से 3 कर्मचारी सचिन, आशीष, सिद्धार्थ तिवारी, कार्मिक/अकार्मिक विभाग से 3 कर्मचारी शबीना अली, शिवराज मीना आदि शामिल हैं.

केशव बघेल मप्र राज्य कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष बने

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अप्रैल. प्रदेश में अब आयोग के साथ ही निगम- मंडलों में भी नियुक्ति का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद किसी निगम में पहली राजनीतिक नियुक्ति भी कर दी गई है.

केशव सिंह बघेल को मप्र राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है. शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह नियुक्ति बघेल के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.

मुकाती देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष- इधर देवास विकास प्राधिकरण में भी राजनीतिक नियुक्ति कर दी गई है. बहादुर मुकाती को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था. साथ ही यहां दो सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं. इनमें पूर्णिमा खंडेलवाल और ओम जोशी के नाम शामिल हैं.

केशव भदौरिया मप्र महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त - निगम- मंडलों के साथ प्राधिकरणों में भी नियुक्तियों का सिलसिला चल निकला है. केशव भदौरिया को मप्र महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

अपेक्स बैंक के अध्यक्ष के लिए महेन्द्र सिंह यादव के नाम पर मुहर- राज्य सरकार ने अपेक्स बैंक के अध्यक्ष के लिए महेन्द्र सिंह यादव के नाम पर मुहर लगा दी है. इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहमति दे दी है. इस संबंध में अब कभी भी आदेश जारी हो सकते हैं. दो दिन पहले ही प्रदेश में दो आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की गई थी. ये सिलसिला अब जारी रहने की संभावना है.

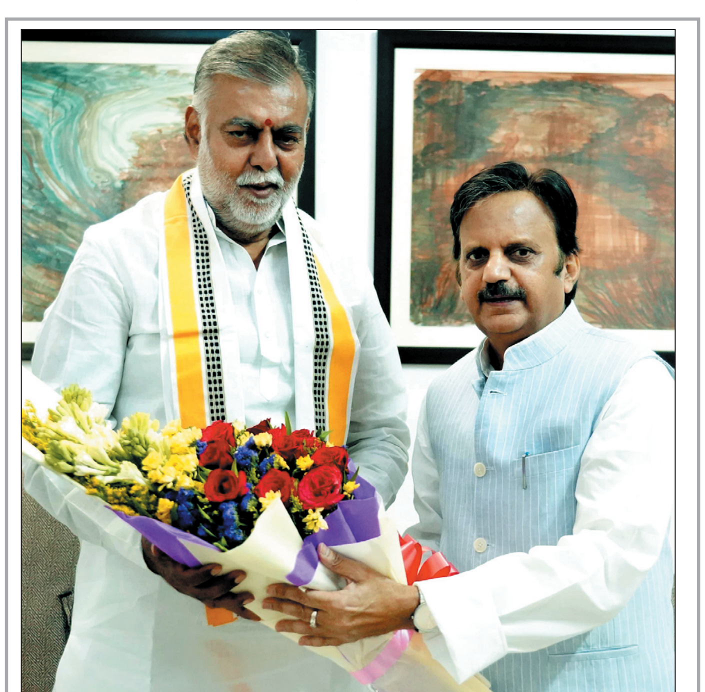

मंत्री प्रहलाद पटेल से मिले राजेन्द्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के भोपाल स्थित निवास में सौजन्य भेंट की. उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्री पटेल को उनके पुत्र प्रबल पटेल की सगाई की शुभकामनाएं दीं और नवयुगल के उज्जवल भविष्य की कामना की.

आत्मबोध से विश्वबोध पर मंथन

महानगर संवाददाता

भोपाल, 24 अप्रैल अखिल भारतीय परिषद्, मध्यभारत प्रान्त एवं भोपाल इकाई ने मिलकर शिवाजी नगर स्थित दुष्यंत संग्रहालय में 'आत्मबोध से विश्वबोध' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया. कार्यक्रम में साहित्यकार, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, जहां आत्मचेतना से राष्ट्रचेतना तक की यात्रा पर विस्तार से चर्चा हुई.

मुख्य वक्ता डॉ. मुकेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आत्मबोध जरूरी है. उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों युवा आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे. वहीं आयोजक डॉ. नुसरत मेहदी ने अपने भाषण में कहा कि आत्मबोध केवल व्यक्तिगत चिंता नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जागरूकता है.

CHANGE OF NAME

I Vikas Jain, S/o Late Shri Vinod Kumar Jain, R/o Bhopal hereby inform that my wife name is wrongly recorded as "Anjli Jain" In my daughter school records her correct name is "Anjali Jain" both names refer to the same person. Henceforth **"Anjali Jain"** shall be used for all purpose.

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
जोन क्र. 9, वार्ड क्र. 69

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जोन कार्यालय क्र. 09 नगर निगम भोपाल के निम्न वार्ड कार्यालय 69 से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर नियमानुसार शुल्क जमा कराए जाने के पश्चात उनके नाम लीज अभिलेखों में परिवर्तित किए जाना हैं. यदि किसी को भी इन लीज नामांतरण पर कोई आपत्ति हो तो अभिलेखों के साथ जोन क्र. 09 नगर निगम भोपाल में 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं. उक्त निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आपत्ति अमान्य कर दी जावेगी.

क्र.	वार्ड क्र.	आवेदक का नाम	पूर्व स्वामी का नाम	भूखंड का पता	खाता नं./संपत्ति कर आईडी
1.	69	1. श्रीमती फायजा अफजल पत्नी स्व. श्री अफजल अली खान 2. सारा खान पुत्री स्व. श्री अफजल अली खान 3. समन खान पुत्री स्व. श्री अफजल अली खान 4. मेहसरा खान पुत्री स्व. श्री अफजल अली खान 5. आमिर अली खान पुत्र स्व. श्री अफजल अली खान 6. नासिर अली खान पुत्र स्व. श्री अफजल अली खान	श्री अफजल अली खान पुत्र स्व. श्री हामिद अली खान	भूखंड क्र. 45 इकबाल कॉलोनी	P006402369

सू.क्र. 118/026/027

जोनल अधिकारी
जोन क्र. 9, नगर निगम, भोपाल

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	154659538	होम लोन	20 .3 .2026	रु. 8,59,909 .67/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. धनराम यादव 2. राजेश बाई यादव

संपत्ति का पता: हाउस नंबर 19 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल प्लॉट एरिया 3800 वर्गफिट बिल्ट-अप एरिया ग्राउंड फ्लोर आरसीसी कुल एरिया 1000 वर्गफिट, सर्वे नंबर 70, पीएच नं. 86, ग्राम और ग्राम पंचायत धुरधुरू, पोस्ट बरखेड़ा हाट, तहसील और जिला गुना, मध्य प्रदेश-473101, और इसकी सीमा- पूरब- खुद का कच्चा मकान, पश्चिम- रघुवीर सिंह की ज़मीन, उत्तर- सड़क, दक्षिण- खुद की ज़मीन.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	25393869	संपति के विरुद्ध लोन	10 .04 .2026	रु. 2,30,932 .43/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. राजकुमार गोस्वामी 2. ऊषा बाई गोस्वामी

संपत्ति का पता: रहने वाले घर/प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा जिसका कुल एरिया 30×35 = 1050 वर्गफिट (97 .548 वर्गमीटर) है, आबादी ज़मीन खसरा नंबर 422, मौज़ ग्राम- राशि, पीएच नंबर 55 नंबर पर है. मौज़ा 158, तहसील- सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश-461223, (तहसीलदार सिवनी मालवा द्वारा जारी आबादी ज़मीन का पट्टा केस नंबर 109/B-121/15-16 जारी तारीख 14/07/2016), और पूरब में- विजयपुरी की प्रॉपर्टी, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- सड़क, दक्षिण में- खुली ज़मीन.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	46995201	संपति के विरुद्ध लोन	18 .02 .2026	रु. 2,77,767 .92/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. रवि मुकाती 2. सविता मुकाती

संपत्ति का पता: अचल प्रॉपर्टी के सभी हिस्से और पार्सल (रेजिडेंशियल प्लॉट/घर) जिसका माप 30×30-900 वर्गफिट है, सर्वे नंबर/आबादी खसरा नंबर-822 के बाहर, गांव उलझवान, तहसील सीहोर, पीएच संख्या-57, जिला- सीहोर, मध्य प्रदेश राज्य-466111 और इससे घिरा- पूर्व- शादीलाल, पश्चिम- अरविंद, उत्तर- लैंड ऑफ सेल्फ, दक्षिण- रोड.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 25 .4 .2026
स्थान: मध्यप्रदेश